न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं उपखंड मजिस्ट्रेट शाहबाद, जिला बारां

पीठासीन अधिकारी :– दीनानाथ बबल (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्याः–2/18

दायर दिनांकः– 28-8-18

निर्णय दिनांक :– 10-12-19

उनवान

श्यामलाल पुत्र श्री भबूतसिंह जाति खंगार निवासी राजपुर तहसील शाहाबाद बारां राज.।

–प्रार्थी

बनाम

1– देवीसींह पुत्र श्री विजयसींह जाति खंगार निवासी देवरी तहसील शाहाबाद बारां राज.।

2– राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार तहसील शाहाबाद जिला बारां राजस्थान

–अप्रार्थीगण

प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 136 आर.एल. एक्ट

प्रार्थना पत्र के संक्षिप्त तथ्य निम्न प्रकार हैः–

1– ग्राम पतारा तहसील शाहाबाद मे आराजी खसरा नम्बर 27 रकबा 4 बीघा 4.07 बिस्वा हिस्सा पूर्ण एवं ग्राम पतारा में ही खसरा नम्बर 32 रकबा बीघा में भूमि चाह हिस्सा 1/4 अप्रार्थी क्रम 1 के खाते मे दर्ज है।

प्रार्थी ने अप्रार्थी से दिनांक 04.03.2008 जर्ये रजि. विक्रय पत्र क्रय कब्जा प्राप्त किया है। जबसे प्रार्थी उक्त आराजी को बहिसियत मालिक काश्त करता चला आ रहा है । इस विक्रय पत्र के आधार पर उक्त आराजीयात का नामान्तरण संख्या 217 प्रार्थी के पक्ष में खोला जाकर दिनांक 04.05.2008 को तस्दीक किया जा चूका है। नामान्तरण संख्या 217 का अमल आगामी चौसाला जमाबन्दी में किया जाना चाहिए था। लेकिन पटवारी हल्का द्वारा अमल नहीं किया गया और कानूनगो ने बिना किसी कारण के प्रार्थी को कोई सूचना दिये बिना अवैधानिक तरीके से नामान्तरण संख्या 217 पर दिनांक 06.10.2011 को नोट अंकित कर दिया कि अमल रोका गया नामान्तरण पूनः खोला जावे। जबकि नामान्तरण संख्या 217 जिस पटवारी हल्का द्वारा खोला गया है। उसी पटवारी ने बाद में कानूनगो की हेसियत से अमल रोकने का नोट अंकित किया है। इस तरह अप्रार्थी क्रम ने अमल रोककर कानूनी त्रृटि की हैं।

उप खण्ड अधिकारी
शाहाबाद जिला बारां (राज०)

Scanned by CamScanner

जिसे प्रार्थी शुद्ध कराने का हकदार है। अप्रार्थी क्रम 2 के द्वारा की गई इस गलती एवं अशुद्धि के सुधार हेतु प्रार्थी ने कई बार लिखित में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम पतारा की आराजी खसरा नं. 32 रकबा 0.04 बीघा हिस्सा 1/4 एवं ग्राम पतारा के खसरा नं. 27 रकबा 4.07 बीघा भूमि प्रार्थी के नाम राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज किये जाने के आदेश प्रदान करने की अनुशंषा की प्रार्थना पत्र बाद जांच दर्ज रजिस्टर कर प्रार्थीगण को तलब किया गया बादं तलबी अनुपस्थित रहने पर एक पक्षीय कार्यवाही अमंल में लायी गई।

बहस एक पक्षीय सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन एवं मनन किया गया। नामान्तरण संख्या 217 ग्राम पतारा से स्पष्ट है कि देवीसिंह पुत्र विजय सिंह के खसरा नं. 26/73 रकबा 3.10 बीघा खसरा नं. रकबा 4.07 व ग्राम पतारा के खसरा नं. 32 रकबा 0.04 बीघा पर रघुवीर पुत्र मूला, पूरम पुत्र पन्ना, सरजो बेवा पन्ना, देवीसिंह पुत्र विजय सिंह के खाते दर्ज है। ग्राम पतारा के खसरा नं. 27 रकबा 4.07 बीघा व खसरा नं. 32 रकबा 0.04 बीघा हिस्सा 1/4 का विक्रय पत्र दिनांक 04.03.2008 को श्यामलाल पुत्र भबूतसिंह जाती खंगार निवासी राजपुर को किया गया। जिसका ग्राम पतारा में नामान्तरण संख्या 217 खोला गया जिसका अमल आगामी चौसाला जमाबन्दी में होना चाहिए था। लेकिन कानूनगो द्वारा बिना कोई कारण अंकित किये स्वेच्छाया से नामान्तरकरण का अमलदरामद रोक दिया गया। जबकि पंजीकृत विक्रय पत्र के आधार पर विधिवत् इन्द्राज किये जाने चाहिऐ थे। बिना किसी विधिक कारण के नामान्तरकरण को भ-ूअभिलेख निरिक्षक ने रोकने की कार्यवाही नियम विरूद्ध है।

आदेश

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 भू-राजस्व अधिनियम स्वीकार किया जाता है। ग्राम पतारा की आराजी खसरा नं. 32 रकबा 0.04 हिस्सा 1/4 एवं ग्राम पतारा के खसरा नं. 27 रकबा 4.07 बीघा प्रार्थी के नाम राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज करने के आदेश दिये जाते है।

उपखण्ड अधिकारी
शाहबाद (राज०)

Scanned by CamScanner